



माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8512 सन् 2025

शिव कुमार सोनी @ शिव कुमार एवं 4 अन्यआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्यविरोधी पक्ष(गण)

आवेदक (कों) के अधिवक्ता : विकास पाण्डेय, कीर्ति रावत

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सुमित कुमार

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से आवेदकों ने शिकायत वाद संख्या 29451 सन् 2023 (संजय कुमार सोनी उर्फ तेज कुमार बनाम शिव कुमार सोनी उर्फ शिवकुमार और अन्य) में दिनांक 22.07.2024 को पारित समन आदेश को चुनौती दी है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 506 के अंतर्गत थाना - दरियाबाद, जिला - बाराबंकी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 25, बाराबंकी के न्यायालय में लंबित है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. लखनऊ उच्च न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र द्वारा दिनांक 08.01.2026 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पूरक शपथपत्र के अनुलग्नक संख्या एस ए - 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह समझौता ज्ञापन पक्षों के बीच संपन्न हुआ है। समझौते की शर्तों के अनुसार, पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और वे उपरोक्त मामले को वापस लेने के लिए तैयार हैं।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का कहना है कि उक्त समझौते के अंतर्गत विवाद पक्षकारों के बीच सुलझ गया है। इसलिए, निवेदन है कि उपरोक्त आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

5. विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं किया है। विरोधी पक्ष संख्या 2 से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, उन्होंने निवेदन किया है कि यदि उपरोक्त मामले में आवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही रद्द कर दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:

i. बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2003)4 एससीसी 675;

ii. निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2008) 9 एससीसी 677;

iii. मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य, (2008) 16 एससीसी 1;

iv. ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303;

v. नरिंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466; और

vi. मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, एआईआर 2019 एससी 1296

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. उपर्युक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ संज्ञेय और गैर-समझौता योग्य अपराधों के संबंध में भी पक्षों के बीच समझौता किया जा सकता है। इस संबंध में, इस न्यायालय द्वारा **शैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**, 2013 (83) एससी 278 में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त कुछ निर्णयों में प्रतिपादित कानून को विस्तार से समझाया गया है।

8. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने **परबतभाई अहीर @ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य** (2017) 9 एससी 641 के मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और आपराधिक कार्यवाही में समझौते के संबंध में अनुच्छेद 16 से 16.10 में निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

"16. इस विषय पर पूर्व उदाहरणों से उभरने वाले व्यापक सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रस्तावों में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

16.1. धारा 482 किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है। यह प्रावधान नई शक्तियां प्रदान नहीं करता है। यह केवल उन शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है जो उच्च न्यायालय में अंतर्निहित हैं;

16.2. प्रथम सूचना रिपोर्ट या आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना कि अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता हो गया है, अपराध के समझौते के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के समान नहीं है। अपराध के समझौते के समय, न्यायालय की शक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। धारा 482 के अंतर्गत रद्द करने की शक्ति तब भी लागू होती है जब अपराध समझौता योग्य न हो।

16.3. धारा 482 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी आपराधिक कार्यवाही या शिकायत को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, इस संबंध में राय बनाते समय, उच्च न्यायालय को यह मूल्यांकन करना होगा कि क्या न्याय के उद्देश्य अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराएंगे;

16.4. जबकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का व्यापक दायरा और पूर्णता है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए;

16.5. इस आधार पर कि अपराधी और पीड़ित ने विवाद सुलझा लिया है, शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने का निर्णय अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सिद्धांतों का कोई संपूर्ण स्पष्टीकरण तैयार नहीं किया जा सकता है;

16.6. धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय और विवाद के निपटारे की दलील पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित ध्यान रखना चाहिए। मानसिक विकृति से जुड़े जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार ने विवाद का निपटारा कर लिया हो। वास्तव में, ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते बल्कि समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ऐसे मामलों में वाद को जारी रखने का निर्णय गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने में सर्वोपरि जनहित के तत्व पर आधारित होता है;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

16.7. गंभीर अपराधों से भिन्न, ऐसे आपराधिक मामले हो सकते हैं जिनमें दीवानी विवाद का प्रबल या प्रमुख तत्व हो। निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के संबंध में वे एक अलग स्थिति में हैं;

16.8. वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अपराधों से जुड़े आपराधिक मामले, जिनमें मूल रूप से दीवानी प्रकृति होती है, उचित परिस्थितियों में रद्द किए जा सकते हैं जहाँ पक्षों ने विवाद का निपटारा कर लिया हो;

16.9. ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि विवाद करने वालों के बीच समझौते के मददेनजर, दोषसिद्धि की संभावना नगण्य हो और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उत्पीड़न और पूर्वाग्रह उत्पन्न हो; और

16.10. उपरोक्त प्रस्ताव 16.8 और 16.9 में प्रतिपादित सिद्धांत का एक अपवाद है। राज्य की वित्तीय एवं आर्थिक भलाई से जुड़े आर्थिक अपराधों के निहितार्थ निजी विवादकर्ताओं के बीच मात्र विवाद के दायरे से परे होते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में दोषमुक्ति से इनकार करना उचित होगा जहाँ अपराधी वित्तीय या आर्थिक धोखाधड़ी या दुराचार के समान किसी गतिविधि में शामिल हो। शिकायत किए गए कृत्य के वित्तीय या आर्थिक प्रणाली पर पड़ने वाले परिणाम निर्णायक होंगे।

9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों के बीच समझौता हो चुका है; दोनों पक्ष यहाँ उपस्थित हैं; विरोधी पक्ष संख्या 2 के वकील भी उपस्थित हैं और उन्हें इस समझौते पर कोई आपत्ति नहीं है; साथ ही मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों को देखते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उपरोक्त मामले की कार्यवाही को लंबा खींचने से कोई लाभ नहीं होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. तदनुसार, आवेदन **स्वीकार** किया जाता है और शिकायत वाद संख्या 29451 सन् 2023 (संजय कुमार सोनी उर्फ तेज कुमार बनाम शिव कुमार सोनी उर्फ शिवकुमार और अन्य), धारा 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, थाना - दरियाबाद, जिला - बाराबंकी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 25, बाराबंकी के न्यायालय में लंबित, आवेदकों के संबंध में एतद्वारा रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

मार्च 19, 2026

मोहित सिंह/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।